10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

-1-

184

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर म॰ प्र॰

निग॰ 2344-I/16
- -

राजस्व निग॰ प्र॰ क्र॰ - सन् 2016

चूरामन तनय ~~रति मन~~ शीलाया बसोर

निवासी- ग्राम खड़गाय तह॰ जिला छतरपुर म॰ प्र॰

.. आवेदक

// बनाम //

म॰ प्र॰ शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म॰ प्र॰ भू॰ रा॰ संहिता 1959॰
- -

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय दिनांक 13॰ 7॰ 16 जो रा॰ प्र॰ क्र॰ 20/अ-21/15-16में पारित किया गया ।
- -

महोदय,

आवेदक निम्न निगरानी प्रस्तुत करताहै -
- - - - - - - - - - - - - - -

1॰ यहकि आवेदक एक गरीब हरिजन जाति का बसोर जाति का व्यक्ति है उसेक पास भूमि ख॰ नं॰ ~~270~~, 284, 288, 289, 303, 314, रकवाक्रमशः 0॰ 121, 0॰ 154, 0॰ 146, 0॰ 275, 0॰ 089 कुल किता पांच रकवा जुमला 0॰ 785 हेक्टेयर स्थित ग्राम परा॰ ॰ तह॰ जिला छतरपुर का पट्टा दि॰ 27.8.98 में स्वीकृत किया गया था परन्तु पट्टे मेंप्रदान की गई उक्त वादग्रस्त भूमि कृषियोग्य ना होकर ककरीली, पथरीली उबड़ खाबड़ होनेसे उसमें आवेदकद्वारा आर्थिक एवं शारीरिक परिश्रम करने के बाबजूद भी फसल से कोई लाभ नहीं हो रहा है । जिससे आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर जीविकोपार्जन हेतु दूसरा ... चाहता है जिससे आवेदक ने माननीय अपर कलेक्टर

XXXIX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.........................

प्रकरण क्रमांक 2344/एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.4.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनॉंक 13-7-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सॅक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आवेदक चूरामन पुत्र रल्लिया बसोर निवासी ग्राम खडगॉंय तहसील छतरपुर को ग्राम परा स्थित भूमि खसरा कमांक 284, 288, 289, 303, 314 कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 हैक्टर का पटटा अन्य एक सर्वे नंबर के साथ नायव तहसीलदार ईशानगर के प्रकरण कमांक 62/अ-19/1997-98 में आदेश दिनांक 27-8-1998 से प्रदान किया गया। आवेदक के अभिभाषक के अनुसार पटटा प्राप्ति वर्ष से वह भूमि पर निरन्तर कास्त करता आ रहा है तथा मजदूरी करके गुजर-वसर रहा है। पटटे की भूमि कृषि योग्य नहीं है एंव कंकड़ पत्थर वाली होकर उबड़-खाबड़ है जिसके कारण फसल का भरपूर लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतएव इस भूमि को विक्रय करके वह जीवकोपार्जन हेतु अन्य दूसरा साधन करना चाहता है इसलिये अपर कलेक्टर छतरपुर को आवेदन देकर भूमि विक्रय की अनुमति मॉंगी। अपर कलेक्टर छतरपर ने प्रकरण कमांक 20 अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया एंव	

आदेश दिनॉक 13-7-2016 पारित करके आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पटटे की भूमि कृषि योग्य नहीं है एंव कंकड़ पत्थर वाली होकर उबड़-खाबड़ है जिसके कारण फसल का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस भूमि को विकय करके वह जीवकोपार्जन हेतु अन्य दूसरा साधन करना चाहता है पटटे पर प्राप्त अन्य भूमि सर्वे नंबर 292 अच्छी है जिसे वह विकय्र नहीं कर रहा है, किन्तु अपर कलेक्टर ने आवेदक की परिस्थिति जॉचे बिना तथा मौका मुआयना किये बिना ही विकय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने विकय अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार ईशानगर ने प्रकरण कमांक 62/अ-19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 27-8-1998 से आवेदक के हित में ग्राम परा स्थित भूमि खसरा कमांक 284, 288, 289,292, 303, 314 कुल किता 6 कुल रकबा 0.809 हैक्टर का पटटा प्रदान किया है अर्थात संपूर्ण भूमि पटटे पर प्राप्त भूमि है। विचार न्योग्य बिन्दु है कि जब पटटे की भूमि कृषि योग्य

XXXiX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2344/एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्मरण तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर

नहीं है एंव कंकड़ पत्थर वाली होकर उबड़-खाबड़ है फसल का समुचित लाभ पटटेदार को प्राप्त नहीं हो रहा है - भूमि आवेदक के जीवन यापन का समुचित साधन नहीं है। पटटाग्रहीता आवेदक पटटा प्राप्ति दिनॉक 27-8-98 से आज तकि निरन्तर खेती करते आ रहा है अर्थात पटटे की शर्तो का उसके व्दारा विधिवत् पालन किया है परन्तु पटटे की भूमि श्रम एंव धन खर्च करने के वाद भी उसके जीवकोपार्जन का पर्याप्त साधन नहीं है जिसके कारण वह भूमि विकय करना चाहता है। तब क्या वर्ष 1998 में पटटे पर प्राप्त भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की जा सकता है जबकि पटटा प्राप्ति हेतु आज की स्थिति में 18वॉ वर्ष हैं । पटटे की शर्तो का पालन करने के आधार पर पटटाग्रहीता 10 वर्ष में भूमिस्वामी बन जाता है हालॉकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा (7-ख) ऐसे पटटे की भूमि के विकय को प्रतिबन्धित करती है वशर्ते की भूमि का विकय शासन नीति के विपरीत है किन्तु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है - * (7-ख) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण काता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा 3 के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई

भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल मे रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर व्दारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा , जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जाएगी, के बिना नहीं करेगा। *

उपरोक्त का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी कृषक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की अथवा विक्रय से प्रतिबन्धित खसरे में अंकित चली आ रही उसके निष्प्रयोजन की भूमि के सदभाविक प्रयोग अथवा आजीविका का साधन बनाने के उद्धेश्य से भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने से रोकने का प्रबन्ध उक्त धारा में किया गया है अपितु इस धारा के अधीन व्यवस्था दी गई है कि भूमि का अंतरण कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा , जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जाएगी – अर्थात विक्रय अनुमति यदि सकारण है और सदभाविक है विक्रय अनुमति लेखबद्ध कारणों सहित प्रदान की जा सकती है। वाद विचारित भूमि का 10 वर्ष तक पट्टे की शर्तो का पालन करने के आधार पर आवेदक भूमिस्वामी है तथा वाद विचारित भूमि उसकी आजीविका का पूर्ण साधन नहीं है और वह सदभावना लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आया है परन्तु अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा वास्तविक तथ्यों की जॉच किये/कराये बिना ही एंव वास्तविक स्थिति की तह में जाने बिना प्रकरण कमांक 20 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 13–7–2016 से आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर

XXXiX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2344/एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर

रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 20 अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 13-7-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम परा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 284, 288, 289, 303, 314 कुल किता 5 कुल रकबा 0.0.785 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. विक्रय पत्र संपादित करने के पूर्व उप पंजीयक सत्यापन कर लेवें कि आवेदक को विक्रय पत्र संपादन दिनॉक को प्रचलित गाईड लायन के मान से विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नही। विक्रय प्रतिफल मिलने की संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित किया जाय।
2. विक्रय धन का आदान प्रदान बैंक चैक अथवा ड्राफट के माध्यम से होने पर विक्रय पत्र संपादित किया जाय।
3. इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर वादग्रस्त भूमि के विक्रय विलेख का संपादन अनिवार्य है ।

सदस्य